छत्तीसगढ़ ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल की संक्षिप्त जानकारी

वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराईजेशन किया जाकर ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाईट https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करके बायोडाट की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी केवल अगली कक्षा हेतु नवीनीकरण करना होगा, प्रतिवर्ष नये आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस योजना अंतर्गत जिले में संचालित सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पालीटेक्निक कालेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के पात्र विद्यार्थियों द्वारा आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया

पोर्टल पर पहली बार छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी को सर्व प्रथम अपना बायोडाटा दर्ज करना है, जो कि पोर्टल के होम पेज में निचे दाये तरफ Students Corner के Register Yourself बिन्दू से किया जाना है।

Register Yourself :– इस बिन्दू में दिये गये सभी निर्देशों को पूरी तरह पढ़ लेवें। इस बिन्दू अंतर्गत :–

- Basic Details - जिसमें आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम दर्ज करें।
- Profile Related Details - जिसमें आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि, वर्ग एवं लिंग सहीं–सहीं दर्ज करें।
- Personal Details - जिसमें आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर एवं अपना ई–मेल दर्ज करें।
- Permanent Address Details - इसमें अपना स्थाई पता (गांव का नाम, पोस्ट आफिस का नाम, जिला, ब्लाक, विधानसभा, एवं पिन नंबर) दर्ज करें।
- Create Your Login Password - इसमें अपना एक पासवर्ड तैयार करें, जिसे लिख कर सुरक्षित रखें।

उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आई.डी. प्राप्त होगा जिसे सुरक्षित रखें। पंजीकरण के बाद आवेदक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता विवरण, आवश्यक दस्तावेज और घोषणा आदि जैसे अन्य विवरणों को लॉगिन करने के पश्चात् पूरा करना होगा।

LOGIN PROCESS

छात्रवृत्ति पोर्टल पर होम पेज में निचे दाये तरफ Students Corner के दूसरे बिन्दू Login से किया जाना है। Login पर क्लिक करने से लॉगिन पेज खुल जायेगा। जिसमें पूर्व में प्राप्त लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड दर्ज करें।

लॉगिन पश्चात् आवेदन पूर्ण करने हेतु 7 चरणों में प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जिसका संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

01– Student Registration :– इस बिन्दू में पूर्व में दर्ज जानकारी प्रदर्शित होती है। जिसे संशोधन नहीं किया जा सकता।

02– Profile Updation :– इसके अंतर्गत मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी., पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, धर्म, बी.पी.एल. /ए.पी.एल., दिव्यांग(हॉ/नहीं), अस्थाई–पता, फोटो अपलोड एवं कक्षा 10 वीं की जानकारी तथा अंकसूची को अपलोड करने जैसी जानकारी दर्ज किया जाना है।

03– Academic Details :– इसके अंतर्गत (अ.) वर्तमान संस्था का विवरण, जैसे–जिला का नाम, वर्तमान संस्था का नाम, प्रवेश तिथि, नामांकन क्रमांक एवं दिनांक।

(ब.) वर्तमान पाठ्यक्रम का विवरण, जैसे– संस्था में प्रवेश का प्रकार, कोर्स, ब्रांच, वर्ष एवं छात्रावासी या गैर छात्रावासी की जानकारी दर्ज करें।

(स.) वर्तमान पाठ्यक्रम के गत वर्ष का विवरण– जैसे वर्तमान में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष उत्तीर्ण की जानकारी (वर्ष, पास/फैल, प्रतिशत) दर्ज करें। यदि प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है तो आवश्यकता नहीं है।

(द.) गत वर्ष में पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम का विवरण – जैसे 12वी., डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोत्तर आदि की जानकारी जो विगत वर्ष में पूर्ण किया गया हो। जिसमें पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम का नाम, विषय, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष, प्रतिशत, पूर्व संस्था का नाम एवं गत उत्तीर्ण वर्ष की अंकसूची अपलोड करें।

04– Bank Details :– इस योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाता क्रमांक को आधार से सीडिंग एवं N.P.C.I. Mapping Enable होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि हस्तानांतरित होगी। बिना बैंक खाता आधार सीडिंग के छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हो पाना संभव नहीं है। अतः विद्यार्थी आधार सीडेड बैंक खाता विवरण ही प्रविष्ट करें।

05– Caste & Domicile Details :– ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र, बनवाना अनिवार्य होगा, जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा। जिसे अपलोड भी किया जाना है। लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का संदर्भ क्रमांक एवं दिनांक दर्ज करने पर स्वतः ही अपलोड हो जावेगा।

06– Income Certificate Details :– लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र का संदर्भ क्रमांक एवं दिनांक दर्ज करने पर स्वतः ही अपलोड हो जावेगा। किन्तु आय प्रमाण–पत्र गत वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है।

07– Lock Application :– समस्त 6 चरणों में प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त अंतिम 7 वे चरण में आवेदन को लॉक किया जाना है। लॉक करने के पहले यह जॉच अवश्य कर ले कि जो भी जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दर्ज किया गया है वह सहीं है। यदि नही तो पुनः उस बिन्दू में जाकर सुधार कर ले।

अन्त में निचे एक घोषणा रहता है जिसके आगे एक चेक बाक्स होता है उसमें टीक लागावें, तत्पश्चात् Lock Application & Forward to Institute पर क्लिक करें। जिससे आधार में लिंक मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. (O.T.P.) प्राप्त होगा, ओ.टी.पी. उचित स्थान पर दर्ज करने के बाद आवेदन लॉक होकर संस्था को ऑनलाईन अग्रेषित हो जावेगा।

➢ संस्था में दस्तावेज क्या–क्या जमा करें :–

01– ऑनलाईन आवेदन की प्रति जिसमें आवेदक एवं पिता/पालक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
02– नवीनतम पासपोर्ट साईज एक फोटो,
03– आय प्रमाण–पत्र, स्थाई जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
04– विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम (अंकसूची) की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
05– आधार कार्ड एवं पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
06– संस्था में जमा की गई शुल्क विवरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
07– एक शपथ–पत्र, जिसमें समस्त स्श्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में स्पष्ट उल्लेख हो एवं पिता/पालक किसी शासकीय कार्यालय में कार्यरत न हो तथा आयकरदाता न हो।

- आवश्यक निर्देश :–
  - भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर **Digital माध्यम से सत्यापन** किया जाना है। **ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र,** बनवाना अनिवार्य होगा, जो **edistrict.cgstate.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा।
  - विद्यार्थियों के बैंक खाता क्रमांक को आधार से सीडिंग एवं N.P.C.I. Mapping Enable होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि हस्तानांतरित होगी। बिना बैंक खाता आधार सीडिंग के छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हो पाना संभव नहीं है।

- विद्यार्थी एवं संस्था स्तर की प्रक्रिया :–
  - विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् अपने आई.डी. पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति का पता लगा सकता है। जिसमें आवेदन की वर्तमान स्थिति, किस तिथि में आवेदन किया गया, किस तिथि में संस्था द्वारा प्रस्ताव/स्वीकृति या किस कारण से आवेदन निरस्त किया गया आदि की जानकारी का विवरण स्वयं देख सकता है।
  - विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर समस्त दस्तावेज संस्था में जमा करने के उपरान्त संस्था द्वारा प्राप्त आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेजों का स्क्रूटिनी कर सभी पात्र आवेदनों का प्रस्ताव/स्वीकृति तैयार किया जाता है। प्रस्तावित/स्वीकृत जानकारी मय दस्तावेजों को संस्था द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति/वितरण हेतु जिला कार्यालय में राज्य मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में जमा किया जाता है।
  - पात्र विद्यार्थियों के आवेदन जिला स्तर से ऑनलाईन स्वीकृति/वितरण होने के फलस्वरूप भुगतान की कार्यवाही हेतु राज्य मुख्यालय भेजा जाता है।

- भुगतान की कार्यवाही :–
  - विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे उनके आधार से सीडेड (Seeded) बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

- सावधानी रखने योग्य बातें :–
  - **ई–मेल आई.डी.(E-Mail I.D.)** सहीं दर्ज करें, बार–बार बदलने से बचे। क्योकि दर्ज ई–मेल आई.डी. पर ही आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। जैसे– छात्रवृत्ति हेतु आई.डी./पासवर्ड, भुगतान की जानकारी एवं समय–समय पर आवश्यक जानकारी।
  - आवेदक द्वारा दर्ज **मोबाईल नंबर आधार से लिंक** होना आवश्यक है। बार–बार बदलने से बचे, यदि मोबाईल नंबर बदलते है तो तत्काल अपने आधार से लिंक अवस्य करा लेवें।
  - आवेदक द्वारा दर्ज **बैंक खाता नंबर आधार से सीडिंग** होना आवश्यक है एवं बैंक खाते का संचालन (लेन–देन) समय–समय पर करते रहें। लम्बे समय तक संचालन नहीं करने पर बैंक द्वारा अस्थाई रूप से खाते को बंद कर दिया जाता है, इससे बचें।
  - आवेदक द्वारा साईबर कैफे/कम्प्यूटर सेंटरों से ऑनलाईन आवेदन कराते है जिससे आई.डी./पासवर्ड हैक होने की ज्यादा संभावना होती है, इससे बचें एवं अपनी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे– आई.डी./पासवर्ड, बैंक खाता नंबर, ई–मेल का आई.डी./पासवर्ड) किसी के साथ साझा ना करे।
  - फर्जी कॉल से बचें, यदि कोई छात्रवृत्ति के नाम पर ओ.टी.पी. की मांग करता है, या किसी के द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान कराने हेतु राशि की मांग किया जाता है तो इस प्रकार के फर्जी कॉल से बचे।
  - ऑनलाईन छात्रवृत्ति फार्म भरते समय नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति का वर्ग, पिता/पालक का नाम, माता का नाम, मोबाईल नंबर, बैंक खाता विवरण, आय/जाति/निवास प्रमाण–पत्र, संस्था का नाम, शैक्षणिक विवरण आदि सावधानी से भेरें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बिलासपुर